

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2010—पौष 18, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-464-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जयदीप
गोविन्द, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा
तथा तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 4
जनवरी 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2009
का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश की अवधि में श्री ए. के.
जोशी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन

विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से
आगामी आदेश तक उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग का
प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
शासन, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुनः
पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर
श्री ए. के. जोशी, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभार
से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 10 से 18 दिसम्बर 2009 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-725-आयएएस-लीव-5-एक.—डॉ. एम. गीता, आयएएस., कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री एन. पी. डेहरिया, राप्रसे, अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रीवा का चालू कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. एम. गीता द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर, जिला रीवा के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-390-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 23 से 29 दिसम्बर 2009 तक, सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती लवलीन कक्कड़ की अवकाश की अवधि में श्रीमती टीनू जोशी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती लवलीन कक्कड़ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती टीनू जोशी, सामाजिक न्याय विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लवलीन कक्कड़ अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-649-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दिनांक 23 दिसम्बर 2009 से 1 जनवरी 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती रश्मि अरुण शमी की अवकाश की अवधि में श्री ए. के. सिंह, आयएएस., संयुक्त आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरुण शमी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रश्मि अरुण शमी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरुण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरुण शमी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-544-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रवीण गर्ग, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2009 एवं दिनांक 3 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री दीपक खांडेकर, आयएएस., वि. क. अ-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खांडेकर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 दिसम्बर 2009 एवं 3 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 15 से 25 जनवरी 2010 तक ग्यारह दिन का एकस ईडिया अर्जित स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश की अवधि में श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., संचालक, नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल, मध्यप्रदेश को दिनांक 11 से 23 जनवरी 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-592-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोविल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा कार्यपालक संचालक, डी. एम. आई. को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 8 जनवरी 2010 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मनोज गोविल की अवकाश की अवधि में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा कार्यपालक संचालक, डी. एम. आई. का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा कार्यपालक संचालक, डी. एम. आई. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज गोविल द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा कार्यपालक संचालक, डी. एम. आई. का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा कार्यपालक संचालक, डी. एम. आई. के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-562-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस, कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को इस विभाग के आदेश क्रमांक 4160-832-09-आयएएस-लीव-एक-5, दिनांक 5 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 2 से 4 दिसम्बर 2009 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 दिसम्बर 2009 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-828-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आयएएस, सहायक कलेक्टर, सागर को दिनांक 20 से 31 अक्टूबर 2009 तक बारह दिन के पितृत्व अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-863-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्णगोपाल तिवारी, आयएएस, (परिवीक्षाधीन) सहायक कलेक्टर, जिला

छिन्दवाड़ा को निम्नानुसार अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- (1) दिनांक 5 से 11 अक्टूबर 2009 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश तथा
- (2) दिनांक 12 से 24 अक्टूबर 2009 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश

(2) अवकाशकाल में श्री कृष्णगोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्णगोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

क्र. ई-5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 23 से 27 नवम्बर 2009 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 28, 29 नवम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

क्र. एफ. 7-94-2009-उन्तीस-1.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का संख्यांक 10) की धारा 5 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सार्वजनिक

वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में निम्नलिखित शुद्धिकरण करती है, अर्थात् :-

शुद्धिकरण

उक्त आदेश में,—

- (1) पृष्ठ क्रमांक 1086 (28) कंडिका 15 (b) के पश्चात् अन्त में शब्द “मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार” ए. के. जैन, उप सचिव के स्थान पर, शब्द “ In the name of the Governor” A. K. Jain Deputy Secretary प्रतिस्थापित किया जाये.
- (2) पृष्ठ क्रमांक 1086 (5) में, कंडिका 15 के पश्चात् निम्नानुसार शब्द तथा अक्षर स्थापित किये जावें. “मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार” ए. के. जैन, उप सचिव.
- (3) पृष्ठ क्रमांक 1086 (8) आदेश के उपाबंध-एक की कंडिका 25 के क्रमांक 3 की 2 नम्बर की लाईन में अंकित हैं “आवेदन से साम दिवस में” के स्थान पर शब्द तथा अक्षर “आवेदन के सात दिवस में” प्रतिस्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.के. जैन, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-9-2-2006-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल्स-74 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम (2) अंकित अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के कारण कॉलम (3) में अंकित अधिकारियों को निगम के संचालक मण्डल में निम्नानुसार अधिकारियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है:—

क्र.	स्थानान्तरित अधिकारी	मनोनीत सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-1(ए) 280-76-ब-2-दो.—(1) श्री एच. के. सरिन, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश को दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से 8 जनवरी 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) एच. के. सरिन, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश, जबलपुर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री एच. के. सरिन, भापुसे द्वारा महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. सरिन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरिन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरिन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

क्र. 6610-इक्कीस-अ (स्था).—राज्य शासन, श्री राजेश यादव, मुख्य प्रारूपकार एवं उप सचिव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में प्रमुख प्रारूपकार एवं अतिरिक्त सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 37400-67000 ग्रेड-पे रु. 8700 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है.”

क्र. 6612-इक्कीस-अ (स्था).—राज्य शासन, श्री एस. आर. तिवारी, सहायक प्रारूपकार एवं अवर सचिव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में प्रमुख प्रारूपकार एवं उप सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड-पे रु. 7600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

क्र. 6613-इक्कीस-अ (स्था).—राज्य शासन, कु. क्षमा तिवारी, अनुभाग अधिकारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में सहायक प्रारूपकार एवं अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड-पे रु. 6600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है.”

क्र. 6622-इक्कीस-अ (स्था).—राज्य शासन, श्रीमती गीता पिप्लई, सहायक ग्रेड-1 को अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर

पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि अनु. जा. वर्ग का अर्हताकारी लोक सेवक उपलब्ध होने पर कनिष्ठतम अनुभाग अधिकारी को पदावनत कर आरक्षित पद की पूर्ति की जाएगी.

क्र. 6623-इक्कीस-अ (स्था).—राज्य शासन, सी.एल. मुकाती (अ.जा.) सहायक ग्रेड-1 को सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की सेवा में छूट प्रदान करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों, आदेशों का पालन किया गया है.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-6-3-2005-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट, किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना क्र. एफ 6-3-05-स-तीस, दिनांक 30 सितम्बर 2005 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता :—

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय	स्मारक	राज्यस्तरीय क्षेत्र जो	क्षेत्र सीमांक	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के
					होना है	क्षेत्र	का नाम	संरक्षण में सम्मिलित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	माडा	जलजलिया छेवारी भाडा	41	0.548 है. टुकड़ा	मध्यप्रदेश शासन	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना वर्मा, उपसचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1), 7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 9,90,00,000 (रुपये नौ करोड़ नब्बे लाख) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि	10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति	कुल प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	क्र./3691/6255/ 89/नि.-3/चार, दिनांक 6-10-1989	11.5%	ऋण पत्र	25-10-2009	9,00,00,000	90,00 लाख	9,90,00,000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रज्जाक, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-1-6-09-स.स.-यू.ए.1-2158.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

1.	प्रो. ए. एस. बरार कुलपति, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर (पंजाब).	समिति के चेयरमेन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत.
2.	श्री बालकवि बैरागी पूर्व सांसद, 169, धापूधाम, डॉ. पुखराज वर्मा मार्ग, नीमच (म. प्र.).	समिति के सदस्य	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
3.	पंडित विश्वनाथ दुबे 201/15, रतन कालोनी, पी.बी.-75, गोरखपुर, जबलपुर	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

2. महामहिम कुलाधिपति द्वारा प्रो. ए. एस. बरार को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

क्र. सामान्य 1-2009-457-58.—क्रमांक एफ 59-1-04 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2010 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	नाम त्यौहार (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1.	रंग पंचमी	5-3-2010	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला
2.	श्रावण मास का अंतिम सोमवार बैजनाथ महादेव आगर की सवारी.	5-8-2010	सोमवार	केवल आगर अनुविभाग के लिए
3.	दशहरे का दूसरा दिन	18-10-2010	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
4.	दीपावली का दूसरा दिन	6-11-2010	शनिवार	आगर अनुविभाग को छोड़कर

राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 841-भू-अर्जन-09

खरगोन, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 3-अ/82/07-08

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पोरेशन लिमि. मंडलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं. जिसकी ओर से मुख्त्यार श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मंडलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य दिनांक 26 दिसम्बर 2009 को संपादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण उसके पूर्ण डूब से प्रभावित होने से ग्राम बेहगांव प.ह.नं. 25, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नं. 190/2, 251, 302/3 आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 211/1, 222, 228, 229/1, 231/1, 234, 236/1, 240, 245, 250/2, 253/1, 253/2, 255, 256/2 एवं 257, 259 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि खसरा नम्बर 190/1/1/1/1/1, 242, 269/1, 302/1/1/1/1/1 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया है जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1, 2, 3 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट (1)

अ.क्र. (1)	स्वत्व धारक या भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम पूरा पता (2)	सर्वे नम्बर (3)	मोहल्ला शीट क्र. (4)	प्लॉट नम्बर (5)	क्षेत्रफल वर्गमीटर में (6)	विवरण (7)
1	एडु पिता बोखार केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	2	252	
2	बोखर पिता मांगीलाल केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	3	385	
3	बीनूबाई पति भूरालाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	4	32	
4	महेश पिता राधेश्याम पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	6	95	
		251 पैकि	1	7	115	
5	भगवान पिता राधेश्याम पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	8	150	
6	बाबु नाना पिता नत्थु पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	9	473	
7	शंकर पिता सीताराम राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	10	280	
		251 पैकि	1	71	194	
8	गजराजसिंह पिता घीसाजी राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	11	567	
9	अमरसिंह उमेदसिंह मनोहरसिंह पिता बाबू राजपूत, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	12	105	
10	शान्ताबाई पति बाबू सुमनबाई पिता बाबू राजपूत, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	13	80	
11	रामईबाई पति फत्तु गुजर, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	14	15	
12	कमलसिंह प्रतापसिंह पिता रामसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	15	193	
13	घीसालाल पिता लक्ष्मण पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	16	192	
14	रूखमणीबाई बेवा पुनमचन्द्र लखन रविन्द्र पिता पूनमचन्द्र कृष्णाबाई नर्मदाबाई पिता पुनमचन्द्र पाटीदार नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	17	122	
		251 पैकि	1	113	83	
15	श्रीराम पिता कालुजी पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	18	35	
		251 पैकि	1	24	46	
16	हरीराम पिता कालुजी पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	19	35	
		251 पैकि	1	23	73	
17	मांगीबाई पिता शोभाराम पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	21	98	
18	राधेश्याम पिता गणपत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	22	117	
19	आनन्दराम पिता मांगीलाल, केवट नि. बहेगांव	251 पैकि	1	26	69	
20	डालुराम पिता मांगीलाल केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	27	31	
21	भगवान पिता मांगीलाल केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	28	25	
22	कुलदेवी मन्दार केवट समाज व्यवस्थापक बोखार, पिता मांगीलाल केवट, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	29	47	
23	भोलू पिता बोदर केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	30	76	
24	अनीताबाई पति नानुराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	31	103	
25	गंगाराम पिता भोलू कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	32	73	
26	घिसीबाई बेवा सालम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	33	42	
27	बनीबाई बेवा भोलू, गंगाराम, चेताराम पिता भोलू सुशीलाबाई, सजनबाई, जीवनबाई, सेवन्तीबाई, पिता भोलू कहार नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	34	45	
28	चेताराम पिता भोलू कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	35	96	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	नवल पिता नाना केवट नि. बहेगांव	251 पैकि	1	37	78	
30	पुनीबाई बेवा गणगत केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	38	109	
31	गोमतीबाई बेवा नाना, नवल, सबल पिता नाना, कंचनबाई रेशमबाई, सुरजबाई पिता नाना केवट, निवासी बहेगांव	251 पैकि	1	39	95	
32	नरसिंह पिता फत्तुसिंह राजपूत नि. बहेगांव	251 पैकि	1	41	103	
		251 पैकि	1	44	82	
33	हरीराम पिता नवलसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	42	118	
		251 पैकि	1	43	102	
34	सबल पिता नाना केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	45	142	
35	अमरीबाई बेवा राजाराम केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	47	61	
36	गबरू पिता गोपाल केवट, बहेगांव	251 पैकि	1	48	134	
37	अमरसिंह पिता बाबुसिंह राजपूत नि. बहेगांव	251 पैकि	1	50	60	
		251 पैकि	1	52	30	
38	मनोहरसिंह पिता बाबुसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	51	55	
39	उमेद सिंह पिता बाबुसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	53	48	
		251 पैकि	1	61	60	
40	रेवाराम पिता नत्थुसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	54	395	
41	महेन्द्रकुमार पिता नत्थुप्रसाद तारे नि. बहेगांव	251 पैकि	1	55	515	
42	रेवाराम पिता ओंकारजी पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	56	120	
43	सेवकराम पिता राजाराम केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	57	144	
		251 पैकि	1	59	82	
		251 पैकि	1	60	69	
44	सीताराम पिता शोभाराम सेन नि. बहेगांव	251 पैकि	1	58	191	
45	मंगत पिता नत्थु भागीरत पिता नत्थु केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	62	135	
46	एडू पिता नत्थु केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	63	184	
47	अनुबाई पति प्रेमसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	64	50	
48	केशरबाई बेवा चन्द्रसिंह कडवा पिता चन्द्रसिंह राजपूत नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	65	170	
49	बलराम पिता रेवाराम केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	70/158	13	
50	श्रीराम पिता रेवाराम केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	70/159	30	
51	रेवाराम पिता गजानन्द केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	70/160	46	
52	उमराव पिता गजानन्द केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	70/161	46	
53	बाबुलाल पिता मंगत्या केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	72	190	
54	शेरू पिता भुरिया केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	73	181	
55	हरीराम पिता धन्नालाल पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	74	175	
56	गीताबाई बेवा ओंकार, भागीरथ, रूपेश पिता ओंकार रुकमणीबाई, सुनीताबाई संगीता बाई, पिता ओंकार केवट, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	75	188	
57	लछीराम पिता शोभाराम भारूड, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	76	97	
58	हरीराम पिता शोभाराम भारूड, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	77	46	
59	विजय पिता अमरसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	78	178	
60	दौलत पिता भगवान कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	79	156	
61	घनसिंह पिता नत्थुसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	80	156	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62	लक्ष्मीबाई बेवा नत्थु, धनसिंह कमलसिंह पिता नत्थु पार्वतीबाई, सरस्वतीबाई पिता नत्थु राजपूत, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	81	116	
63	गजराजसिंह पिता बलबन्तसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	82	77	
64	सजनबाई बेवा बलवन्तसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	83	12	
65	सौभागसिंह पिता बलवन्तसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	84	58	
66	शेरसिंह पिता बलवन्तसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	85	64	
67	माताजी मन्दिर सार्वजनिक	251 पैकि	1	86	14	
68	बाबूलाल पिता रामनिवास ब्राह्मण, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	88	230	
69	मनोहरसिंह पिता रामसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	89	96	
70	रामसिंह पिता मोतीराम राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	90	128	
71	भगवान पिता मकुन्द केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	92	94	
72	बहादुर पिता धनसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	93	100	
73	कडवा पिता चन्दरसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	94	32	
74	गुलाबसिंह पिता धनसिंह राजपूत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	95	136	
75	मंशाराम पिता भागचन्द केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	96	79	
76	रामलाल पिता बाबूलाल कर्मा, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	97	121	
		251 पैकि	1	116	72	
77	राधेश्याम पिता ओंकार पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	98	244	
78	धर्मशाला सार्वजनिक	251 पैकि	1	100	180	
79	श्री राधाकृष्ण मंदिर (सार्वजनिक) पुनर्वास समिति	251 पैकि	1	101	106	
80	मांगलिक भवन पुनर्वास समिति सार्वजनिक	251 पैकि	1	102	159	
81	गिरधारी जगदीश पिता गजानन्द पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	103	133	
82	हरिराम पिता बाबूलाल पाटीदार नि. बहेगांव	251 पैकि	1	104	85	
		251 पैकि	1	108	271	
		251 पैकि	1	112	116	
		251 पैकि	1	127	166	
83	महादेव पिता गणपत केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	105	76	
84	रतन पिता गणपत केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	106	40	
85	गोविन्द पिता गणपत केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	107	67	
86	गिरधारी पिता गजानन्द हरिराम पिता बाबूलाल पाटीदार नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	109	2	
87	जगदीश गिरधारी पिता गजानन्द पाटीदार नि. बहेगांव	251 पैकि	1	110	170	
88	पदम पिता गणपत केवट नि. बहेगांव	251 पैकि	1	111	55	
89	भुवानीराम पिता तोताराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	114	47	
90	तोताराम पिता जीवराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	115	46	
91	सरदार मनोहर पिता मांगीलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	117	51	
92	लक्ष्मीबाई बेवा जगन्नाथ मनोज सुरेश कमल विनोद पिता जगन्नाथ, कंचन बाई, अजुध्याबाई पिता जगन्नाथकर्मा, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	118	425	
		251 पैकि	1	145	120	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
93	जगदीश पिता जोगीलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	120	88	
94	कडवा पिता आत्माराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	121	88	
95	तोताराम पिता रामा कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	122	136	
96	गबरू पिता रामा कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	123	164	
97	गौरीशंकर पिता ओंकार पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	124	74	
		251 पैकि	1	128	206	
98	गुलाबसिंह पिता दशरथ यादव, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	125	226	
99	कमल पिता मंशाराम सेन, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	126	182	
100	गजानन्द पिता बाबुलाल पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	130	104	
101	लक्ष्मीकान्त पिता मकुन्दराम ब्राह्मण, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	131	123	
102	बलीराम पिता बोखार कुम्हार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	132	154	
103	अमरसिंह पिता घनश्याम भारूड, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	133	256	
104	सीताराम पिता बावरिया कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	135	29	
105	सीताबाई बेवा गोपाल बलाई, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	137	56	
106	कलाबाई बेवा तेज्या बलाई, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	138	80	
107	केशरिया पिता उमराव केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	140	95	
108	शोभाराम पिता शंकर केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	141	64	
109	मांगीबाई बेवा चम्पालाल, भगु लिम्बा त्रिलोक, पिता चम्पालाल लक्ष्मीबाई पिता चम्पालाल केवट नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	142	33	
110	प्रेमचन्द पिता राजाराम केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	143	91	
111	देवानन्द पिता गजानन्द पाटीदार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	144	303	
112	बजरंग मंदिर सार्वजनिक	251 पैकि	1	147	84	
113	लक्ष्मीबाई बेवा नत्थु प्रसाद योगेन्द्र विरेन्द्र महेन्द्र पिता नत्थु प्रसाद जीवनबाई लज्जाबाई पिता नत्थु प्रसाद ब्राह्मण, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	151	227	
		251 पैकि	1	152	401	
		251 पैकि	1	153	112	
114	चैनसिंह पिता गोपाल राजपुत, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	154/162	45	
115	शिवराम पिता हंसराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	154/163	100	
116	राधु पिता हंसराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	154/164	70	
117	घीसाजी पिता बाबुलाल मुकेश पिता घीसाजी कहार, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	154/165	132	
118	कडवा पिता राजाराम केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	154/166	201	
119	सकरी बेवा बाबु नावडा, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	154/167	71	
120	राधेश्याम पिता बाबु नावडा, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	154/168	91	
121	हुकुम पिता नाना कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/169	42	
122	मंगतीबाई पति हुकुम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/170	29	
123	मांगीलाल पिता अमरिया कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/171	12	
124	रतन पिता जीवराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/172	69	
125	चन्दर पिता जीवराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/173	69	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
126	सुरेश पिता तोताराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/174	69	
127	चैनसिंह पिता जीवराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/175	75	
128	मांगीलाल पिता अमरिया कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/176	102	
129	सीताराम पिता बावरिया कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/177	120	
130	कन्हैया पिता सीताराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/178	137	
131	भोलु पिता नाना कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/179	19	
132	गोवर्धन पिता नाना कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/180	18	
133	भगवान पिता नत्थु कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/181	55	
134	नत्थु पिता कालु कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/182	55	
135	नवल पिता जोगीलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/183	29	
136	उमराव पिता हंसराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/184	49	
137	जीवराज पिता मांगीलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/185	103	
138	गोपाल पिता जीवराज कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/186	37	
139	शेरू नारायण पिता मांगीलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/187	11	
140	मयाराम पिता रामलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/188	60	
		251 पैकि	1	157/201	57	
141	राकेश पिता सीताराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/189	21	
142	कमल पति रामलाल कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/190	88	
143	पारूबाई बेवा शिवराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/191	38	
		251 पैकि	1	157/193	38	
144	मंशाराम पिता तुकाराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/192	22	
145	अखिलेश पिता बाकाजी कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/194	36	
146	चन्दर पिता नहारू कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/195	17	
147	नहारू पिता अमरिया राघु पिता नहारू कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/196	38	
148	दवराम पिता लच्छीराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/197	41	
149	गणेश पिता शिवराम कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/198	34	
150	नन्दु पिता अमरिया कहार, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/199	53	
151	तुकाराम पिता रामचन्द्र केवट, नि. बहेगांव	251 पैकि	1	157/200	35	
152	अमरसिंह इन्दरसिंह, जोगेन्द्रसिंह पिता श्रीराम राजपुत, नि. बहेगांव.	251 पैकि	1	157/202	193	
153	चैनसिंह पिता नहार सिंह भीलाला, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	17	74	
154	घनश्याम पिता जयराम भारूड, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	1	191	
155	अनोकचन्द्र पिता जयराम भारूड, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	2	293	
156	कलाबाई बेवा रामचन्द्र केवट, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	3	229	
157	रमेश पिता हिराजी केवट, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	5	50	
158	परसराम पिता हिराजी केवट, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	7	211	
159	मथुरालाल पिता किशनलाल प्रजापत, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	8/25	175	
160	लीलाबाई पति मंगतुजी रायबलबाई पति मंगतुजी भारूड, नि. बहेगांव.	190/2 पैकि	2	8/26	300	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
161	अमरसिंह पिता नहारसिंह भीलाला, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	8/27	100	
162	हुकुमसिंह पिता नहारसिंह भीलाला, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	8/28	100	
163	भगवान पिता नागुजी भारूड, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	9	128	
164	द्वारकाप्रसाद पिता नारायण पाल, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	10	148	
		190/2 पैकि	2	15	624	
165	हरीराम पिता बाबुलाल पाटीदार, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	13	838	
166	शिवराम पिता खेमा जाट, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	16/29	100	
167	भोलु पिता विभाजी, रामप्यारीबाई पति विभाजी जाट, नि. बहेगांव.	190/2 पैकि	2	16/30	95	
168	नैनसिंह पिता नहारसिंह भीलाला, नि. बहेगांव	190/2 पैकि	2	16/31	90	
169	एडू पिता बाल्या भारूड, नि. बहेगांव	302/3 पैकि	2	19/32	293	
170	लक्ष्मीबाई उर्फ गंगाबाई बेवा अनोपसिंह अशोक पिता अनोपसिंह राजपुत, नि. बहेगांव.	302/3 पैकि	2	19/33	121	
171	कालु पिता गोपाल राजपुत, नि. बहेगांव	302/3 पैकि	2	19/34	74	
172	अमरसिंह पिता दौलतसिंह भारूड, नि. बहेगांव	302/3 पैकि	2	20	515	
173	मानसिंह पिता शिवराम भारूड, नि. बहेगांव	302/3 पैकि	2	21	345	
174	भगवान पिता गोबिन्द भारूड, नि. बहेगांव	302/3 पैकि	2	22	164	
175	अमरसिंह पिता दौलतसिंह भगवान नत्थु शिवराम पिता गोबिन्द भारूड, नि. बहेगांव.	302/3 पैकि	2	23	93	
176	शासकीय विद्यालय	302/3 पैकि	2	24	590	
योग . .				198	25064	

परिशिष्ट -दो

निजी कृषि भूमि में स्थित परिसम्पत्तियां

अ.क्र.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	जाति	ख. नं.	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राधेश्याम पिता गणपत	पाटीदार	211/1	कुवा पक्का 1
2	शेरू पिता भुरिया	केवट	222	पशु बाडा 1
3	शोभागसिंह पिता बलवन्तसिंह	राजपुत	228	पशु बाडा 1
4	मनोहर पिता बाबु	राजपुत	229/1	पशु बाडा 1
5	सौदानसिंह पिता गंगाराम	राजपुत	231/1	पशु बाडा 1
6	उमराव पिता शोभाराम	केवट	234	मकान 1
7	जालमसिंह पिता भगवानसिंह	भीलाला	234	मकान 1
8	भगवानसिंह पिता नहारसिंह	भीलाला	234	मकान 1
9	कालु पिता उमराव	केवट	234	मकान 1
10	भगवान पिता सखाराम	कहार	234	मकान 1
11	सुखदेव पिता राजाराम	केवट	234	पशु बाडा 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	कैलाश पिता बोंदर	केवट	234	मकान 1
13	बहादर पिता बोंदर	केवट	234	मकान 1
14	बुदिया पिता तुकाराम	केवट	234	मकान 1
15	रामा पिता भोलु	केवट	236/1	मकान 1
16	भारत पिता श्याम	केवट	236/1	मकान 1
17	हरिराम पिता धन्नालाल	केवट	240	मकान 1
18	धन्नालाल पिता गजानन्द, गौरीशंकर पिता धन्नालाल	केवट	240	मकान 1
19	रूखडिया पिता धिस्या	चमार	245	मकान 1
20	नरसिंह पिता फत्तु	राजपुत	250/2	पशु बाड़ा 1
21	मनोज पिता जगन्नाथ	सुतार	253/1	मकान 1
22	जगदीश पिता निल्या	बलाई	253/1	मकान 1
23	कडवा पिता निल्या	बलाई	253/1	मकान 1
24	कैलाश पिता निल्या फतीबाई बेवा निल्या	बलाई	253/1	मकान 1
25	शेरू पिता गोपाल	बलाई	253/1	मकान 1
26	लच्छीराम पिता शोभाराम	भारूड	253/1	पशु बाड़ा 1
27	प्रेमलाल पिता तुलसीराम	भारूड	253/1	मकान 1
28	हरिराम पिता शोभाराम	भारूड	253/1	पशु बाड़ा 1
29	हरिराम पिता हीरालाल	भारूड	253/1	मकान 1
30	गुलाबसिंह पिता गोपाल	बलाई	253/2	मकान 1
31	भगवान पिता नहारसिंह	भीलाला	253/2	मकान 1
32	विष्णु पिता करसन	बलाई	253/2	मकान 1
33	प्रेमबाई पति उमराव	कहार	255	मकान 1
34	उमराव पिता हसंराज	कहार	255	मकान 1
35	सुनिल पिता उमराव	कहार	256/2-257	मकान 1
36	गणेश पिता उमराव	कहार	256/2-257	मकान 1
37	गुलाबसिंह पिता धनसिंह	राजपुत	259	पशु बाड़ा 1
योग . .				कुल मकान 36 एवं पक्का कुवा 1 कुल क्षेत्र. 1911 वर्गमीटर

परिशिष्ट -तीन

शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

अ.क्र. (1)	ख. नं. (2)	मद (3)	सम्पत्ति का विवरण (4)
1	190/1/1/1/1	चरनोई	डेहरी 1 समाधी 2 मकान 13 (463 व. मी. में निर्मित) पम्पहाउस 4 (19 व. मी. में) पाईपलाईन विद्युत् डी. पी.-5 (18 व. मी.)
2	242	रास्ता	नाग मंदिर 1 (10 वर्ग मीटर में निर्मित)
3	269/1	चरनोई	मकान 24 मंदिर 1, विद्यालय 1 (788 व. मी. में निर्मित) हेण्ड पम्प 1
4	302/1/1/1/1	चरनोई	शासकीय कुवा 1 मकान 3 (174 व. मी. में निर्मित)
कुल शासकीय भूमि . .			1472 व. मी. पर स्थित संरचनाएं.

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-9-07 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-15-07-सात-2-ए, भोपाल दिनांक 4-10-07 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निम्नानुसार निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2, 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेंगी, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—

- (1) अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- (2) भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (3) भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.
- (4) कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी.
- (5) कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44ए)
- (6) यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा. और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
- (7) भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी. तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- (8) शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
- (9) पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
- (10) प्रदूषण नहीं किया जावेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस आशय के प्राप्त करना होंगे कि, "पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा".
- (11) भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
- (12) यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा.
- (13) भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

- (14) भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
- (15) शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
- (16) मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.
- (17) प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे.

- (क) राज्य शासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लॉट पर मकान बनाने के लिये करेगा. यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है तो वह आवंटित स्थल पर मकान बनाने के लिये अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा.
- (ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह उस पर अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा. जिसमें लगने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा.
- (ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1, 2, 3 में वर्णित भूमि एवं संरचनाओं के अर्जन के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा, यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य शासन भूमि अधिगृहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिगृहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिगृहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा.

भू-अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क्र. 1 राज्य शासन, पक्ष क्र. 2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबत आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेजों का निष्पादन करावेगी. अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा.

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मंडलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1

हस्ता/-

नाम—डॉ. ममता खड्गे

पता—एफ-9, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, खरगोन.

पक्ष क्रमांक 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.)

साक्षी क्र. 2

हस्ता/-

नाम—छोटेखान

पता—म. नं. 21, टवडी मोहल्ला, खरगोन.

पक्ष क्र. 2

हस्ता/-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मंडलेश्वर.

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र. मा. चि.-09-1841.—मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपडिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए, उप वनमण्डल, ब्यौहारी के वन परिक्षेत्र पूर्व ब्यौहारी के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुर्नगठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय				पुर्नगठित बीट का नाम एवं मुख्यालय				विवरण				
उप वन मण्डल का नाम (1)	वन परिक्षेत्र का नाम (2)	सर्किल का नाम (3)	बीट का नाम एवं मुख्यालय (4)	कक्ष क्र. (5)	उप वन मण्डल का नाम (7)	वन परिक्षेत्र का नाम (8)	सर्किल का नाम (9)	बीट का नाम एवं मुख्यालय (10)	कक्ष क्र. (11)	रकबा हे. (12)	(13)	
ब्यौहारी	पूर्व ब्यौहारी	ब्यौहारी	साखी (साखी)	RF 40 RF 41 P 42 P 43 P 44 P 45 योग . .	172.00 328.00 71.00 45.60 69.80 88.00 <u>774.40</u>	ब्यौहारी	ब्यौहारी	पूर्व ब्यौहारी	साखी (साखी)	RF 37 RF 38 RF 39 RF 40 योग . .	156.00 123.00 57.00 172.00 <u>508.00</u>	उत्तर.—मऊ बीट कक्ष क्र. RF 36 की सीमा. पूर्व.—खरपा बीट कक्ष क्र. RF 41 की सीमा. दक्षिण.—पी. डब्ल्यू. सी. रोड ब्यौहारी, सीधी, आखेटपुर. पश्चिम.—पी. डब्ल्यू. सी. रोड ब्यौहारी, रीवा.
ब्यौहारी	पूर्व ब्यौहारी	ब्यौहारी	मऊ (मऊ)	RF 35 RF 36 RF 37 RF 38 RF 39 P 32 P 33 P 34 योग . .	163.00 105.60 156.00 123.00 57.00 43.00 24.40 15.20 <u>687.20</u> <u>1461.60</u>	ब्यौहारी	ब्यौहारी	पूर्व ब्यौहारी	मऊ (मऊ)	P 32 P 33 P 34 RF 35 RF 36 योग . .	43.00 24.40 15.20 163.00 105.60 <u>351.20</u>	उत्तर.—पपेडी बीट की सीमा पूर्व.—खरपा बीट की सीमा दक्षिण.—साखी बीट की सीमा पश्चिम.—पी. डब्ल्यू. सी. रोड, ब्यौहारी, रीवा.
			कुल योग			ब्यौहारी	ब्यौहारी	खरपा	RF 41 P 42 P 43 P 44 P 45 योग . .	328.00 71.00 45.60 69.80 88.00 <u>602.40</u> <u>1461.60</u>	उत्तर.—पी. डब्ल्यू. सी. रोड, ब्यौहारी, सीधी. पूर्व.—बीट सरवाहीखुर्द की सीमा दक्षिण.—साखी ग्राम की सीमा पश्चिम.—बीट साखी की सीमा.	
										कुल योग . .	1461.60	ए. एस. तिवारी, वनमंडलाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 26 नवम्बर / 2 दिसम्बर 2009

क्र. भू-अर्जन-2009-317.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने की नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापिपल	रामडी	9.645	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., शाजापुर.	खरदौनकलां से उगली शुजालपुर मार्ग के लिये ग्राम रामडी की भूमि अर्जन बावत्.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

प्र.क्र. 3अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख.न. रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	रहली	सहजपुरी खुर्द, प.ह.नं. 19.	500/1 1.27 में से 0.16 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर.	सागर-रहली मार्ग के कि.मी. 42/8 में सोनार नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

क्र.-क-वाचक-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला/तहसील	भूमि का विवरण		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	ग्राम	खसरा नंबर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/ बुरहानपुर.	रहीपुरा	80/2	0.37	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर.	बुरहानपुर बायपास मार्ग.
		80/2.3	0.38		
		98	0.68		
		99	0.06		
		100	0.02		
		102/3	0.08		
		103/3	0.12		
		104	0.49		
		105	0.10		
		133	0.58		
		134	0.06		
		152/1	0.03		
		153/2	0.21		
		154	0.34		
		155/4	0.01		
		155/2	0.17		
		156	0.27		
		157	0.20		
		159	0.01		
		163	1.58		
174	0.36				
175	0.12				
182	0.02				
183	0.40				
184	0.39				
190	0.36				
191/1	0.38				
192	0.36				
200/3	0.23				
203	0.40				
208	0.40				
191/2	0.37				
योग :			9.55		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/	जैनाबाद	383	0.10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग,	बुरहानपुर बायपास मार्ग.
बुरहानपुर.		391	0.10	बुरहानपुर.	
		393	0.06		
		394	0.06		
		395	0.05		
		400/2	0.45		
		408	0.45		
		411	0.24		
		406	0.02		
		407	0.46		
		408	0.15		
		412/1	0.35		
		410	0.22		
		452	0.12		
		453	0.08		
		462	0.10		
		464	0.10		
		466	0.71		
		487/2	0.48		
		501/3	0.45		
		503	0.62		
		504	0.83		
		508	0.27		
		509	0.64		
		585/1	0.25		
		585/4	0.62		
		585/5	0.20		
		587	0.30		
		593	0.19		
		592	0.28		
		595	0.15		
		606	1.06		
		649	0.63		
		650	0.63		
		658	0.49		
		660	0.92		
		694	0.83		
		690	0.78		
		691/1	0.53		
		692	0.50		
		691/2	0.20		
		696/1	0.10		
		696/2	0.10		
		696/3	0.10		
		694/4	0.50		
		696/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/ बुरहानपुर.	जैनाबाद	696/6	0.10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर.	बुरहानपुर बायपास मार्ग
		696/7	0.01		
		697/1	0.05		
		697/2	0.06		
		698	0.12		
		705	0.06		
		686/1	0.23		
		686/2	0.04		
		774	0.04		
		776	0.25		
		780	0.19		
		781	0.33		
		782	0.06		
		784	0.70		
		785	0.11		
		767	0.10		
		788/2	0.43		
		848	0.07		
		849/1	0.30		
		849/2	0.10		
850	0.35				
863	0.82				
873	0.31				
851	0.07				
योग :			<u>21.37</u>		
बुरहानपुर/ नेपानगर.	बसाड	86	0.10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर.	बुरहानपुर बायपास मार्ग
		88	0.09		
		103	0.01		
		105/1	0.22		
		105/2	0.05		
		108	0.65		
		110	0.01		
		111	0.01		
योग :			<u>1.14</u>		

भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बुरहानपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

क्र.-क-वाचक-भू-अर्जन-2007.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला/तहसील	भूमि का विवरण		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	ग्राम	खसरा नंबर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/ नेपानगर.	रहमानपुरा	2/1	0.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, बुरहानपुर.	रहमानपुरा तालाब योजना
		3/1	0.44		
		5	0.05		
		6	0.74		
		7/1	1.05		
		7/2	0.18		
		10/1	0.70		
		12	1.62		
		13	0.83		
		16	0.12		
		17	2.10		
		61	0.6		
		65	3.20		
		67	0.56		
		68	1.79		
		69	2.44		
		71	1.30		
		72/1	0.67		
		72/2	2.02		
		73	2.34		
78	1.70				
79	0.66				
84	0.10				
89/1	0.53				
90/1	0.26				
90/2	1.19				
93/1	1.52				
111/1	0.24				
112/1	0.93				
112/2	0.64				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		114	0.12		
		115	0.50		
		116	0.10		
		148	0.50		
		152	0.23		
		153	0.23		
		154	0.14		
		155	0.17		
		156	0.23		
		158	0.01		
		160	0.004		
		162	0.03		
		169	0.95		
		171	0.57		
		173	0.70		
		174	0.81		
	योग . .	<u>46</u>	<u>35.98</u>		
बुरहानपुर/ नेपानगर	नावरा	152	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर (म.प्र.)	रहमानपुरा तालाब योजना
		153	1.03		
		154	0.25		
		156	6.60		
		157	0.23		
		159	0.32		
		163	2.40		
	योग . .	<u>07</u>	<u>10.90</u>		
बुरहानपुर/ नेपानगर	घाघरला	230/1	0.71	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर (म.प्र.)	रहमानपुरा तालाब योजना
		234	0.43		
		230/2	0.30		
		230/3	1.50		
		231/1	1.83		
		231/2	0.06		
		231/3	2.00		
	योग . .	<u>0.7</u>	<u>6.83</u>		
बुरहानपुर/ नेपानगर	डालमहु	215	0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर (म.प्र.)	रहमानपुरा तालाब योजना
		231	0.50		
	योग . .	<u>02</u>	<u>0.75</u>		
	महायोग . .	<u>62</u>	<u>54.46</u>		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82) 2008-09-780.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	दूधी मझौली	8	0.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सिलघटी जलाशय के शीर्ष कामों निर्माण हेतु.
			9	1.39		
			130	0.38		
			164	0.64		
			10	0.14		
			70	1.18		
			11	0.68		
			12	0.03		
			50	0.84		
			67	0.24		
			69	0.32		
			72	2.32		
			166	2.08		
			80	0.51		
			124	0.48		
			127	0.72		
			128	1.20		
			136	0.58		
			134	0.30		
			135	0.34		
			138	0.35		
		योग . .		14.93		
		शासकीय भूमि 71, 74, 126		1.89		
		129, 131, 132				
		133, 137, 165				
		कुल योग . .		16.82		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82) 2008-09-781.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	घोपतपुर रैयत	303	0.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	घोपतपुर जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
			305/3	0.60		
			305/1	0.63		
			309	0.74		
			325/1	0.38		
			327/1	0.70		
			305/2	0.60		
			306	0.95		
			308	0.62		
			310/1	0.97		
			310/2	0.54		
			310/3	0.49		
			310/4	0.49		
			311	0.29		
			312	1.03		
			313/2	0.72		
			320	6.00		
			324	0.48		
			321/2	0.49		
			325/2	0.38		
332	0.48					
323/1	0.52					
323/2	0.50					
323/3	0.56					
325/3	0.38					
325/4	0.10					
325/5	0.38					
326	0.38					
योग . .				20.56		
शासकीय भूमि			307, 315	1.30		
कुल योग . .				21.86		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82) 2008-09-782.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	किकरझर रैयत	5/1	0.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	सरई जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
			6	1.20		
			6/1	0.32		
			7	0.40		
			7/1	0.72		
			10	0.40		
			11/2	0.12		
			13	0.80		
			11/3,5	0.24		
			11/6	0.06		
			11/4	0.08		
			11/8	0.08		
			15	1.86		
			22	0.72		
	योग . .		<u>7.28</u>			
	ग्राम कोटवार (सेवा भूमि)	3.00	4.49			
	कुल योग . .		<u>11.77</u>			

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82) 2008-09-778A.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	ददरगांव	244	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	सरवाही जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
			247	0.20		
			256	0.55		
			257	0.65		
			258	0.55		
			259	0.08		
			260	0.08		
		योग . .		<u>2.21</u>		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2(अ-82) 2008-09-779A.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही	368	0.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	सरवाही जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
			369	1.10		
		योग . .		<u>1.50</u>		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 03-अ-82-2009-10-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके सभी संबंधी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	ढीमरखेड़ा	खमतारा 109 पहरुवा 108	3.18 1.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, कटनी.	पहरुवा जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य.
कुल : 5.10					

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ढीमरखेड़ा, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

क्र. भू-अर्जन-02-(अ-82)-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नैनपुर	नैनपुर, प.ह.नं. 17	0.306	उप मुख्य अभियंता (निर्माण), जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर ब्राडगेज हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03-(अ-82)-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नैनपुर	जेवनारा, प.ह.नं. 12	0.820	उप मुख्य अभियंता (निर्माण), जबलपुर.	गोंदिया-जबलपुर ब्राडगेज हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

रा.मा.क्र. 5-अ-82-वर्ष 09-10-पत्र क्र. 828-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गौरास, नं.बं. 129, प.ह.नं. 73.	0.041	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग क्र. 1, करेली.	गौरास माईनर निर्माण के अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा.मा.क्र. 6-अ-82-वर्ष 09-10-पत्र क्र. 828-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	हरई, नं.बं. 466, प.ह.नं. 76.		0.074	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग क्र. 1, करेली.	पुधरोला माईनर निर्माण के अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

क्र. -कलेक्टर-भू.अ.-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
		ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	ताखलाखुर्द, प.ह.नं. 08, रा.नि.मं., बरघाट.	अशासकीय भूमि शासकीय भूमि-0	0.36	म. प्र. शासन, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण, सिवनी.	टेटमा-मलारा मार्ग निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. -कलेक्टर-भू.अ.-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी

निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	चिमनाखारी, प.ह.नं. 08, रा.नि.मं., बरघाट.	0.55 अशासकीय भूमि शासकीय भूमि-0	म. प्र. शासन, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण, सिवनी.	टेटमा-मलारा मार्ग निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. -कलेक्टर-भू.अ.-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	मलारा, प.ह.नं. 06/12, रा.नि.मं., बरघाट.	0.60 अशासकीय भूमि शासकीय भूमि-0	म. प्र. शासन, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण, सिवनी.	जनमखारी से खामी मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(ग) ग्राम—भौरासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25×150 वर्गमीटर
रकबा 0.375 हेक्टेयर.

देवास, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

प्र.क्र. 01-अ-82-2009-10-1810.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सोनकच्छ

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
सर्वे नं. 1905/1	0.375 (25×150 वर्गमीटर)
भूमि का योग :	0.375 (25×150 वर्गमीटर)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का कारण—भोपाल, सीहोर, देवास फोरलेन मार्ग के अन्तर्गत टोलप्लाजा निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) परिसम्पत्तियों के नक्शे (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

क्र. 824-भू-अर्जन-09-प्र. क्र. 149-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—लखापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.212 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
------------------	--------------------------

2-3/1	0.080
-------	-------

2-3/2	0.134
-------	-------

2-3/3	0.295
-------	-------

4/1	0.069
-----	-------

4/2	0.085
-----	-------

4/3	0.016
-----	-------

4/4	0.085
-----	-------

5/7	0.202
-----	-------

5/8	0.243
-----	-------

5/9	0.049
-----	-------

14/1	0.202
------	-------

14/2	0.219
------	-------

14/3	0.085
------	-------

14/4	0.089
------	-------

15/1	0.109
------	-------

15/2	0.150
------	-------

15/3	0.125
------	-------

17/1	
------	--

3	0.332
---	-------

17/2	
------	--

17/1	
------	--

2	0.214
---	-------

17/2	
------	--

(1)	(2)
-----	-----

22/4	0.089
------	-------

22/5	0.113
------	-------

24/1	0.316
------	-------

24/2/1	0.121
--------	-------

24/2/2	0.134
--------	-------

24/3/1	0.089
--------	-------

24/3/2	0.049
--------	-------

44/1	
------	--

1	0.089
---	-------

44/2	
------	--

44/1	
------	--

2	0.101
---	-------

44/2	
------	--

44/1	
------	--

3/1	0.235
-----	-------

44/2	
------	--

44/1	
------	--

3/2	0.093
-----	-------

44/2	
------	--

योग . . 4.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लाखापुरा तालाब योजना की योजना नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 825-भू-अर्जन-09-प्र. क्र. 150-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—कोदला खालसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.562 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
48/1	0.170
49/1	0.350
73/1	0.512
73/2	1.437
74	0.093
योग . .	<u>2.562</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लाखापुरा तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

क्र. एफ. 01-अ-82-भू-अर्जन-09-10. —चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—झुकेही

(घ) क्षेत्रफल—50.656 हेक्टर.

ग्राम झुकेही

सतना रीवा मुख्य नहर में अर्जित की जाने वाली अशासकीय भूमि की सूची

खसरा नंबर	पूर्व में प्रकाशित रकबा	संशोधित रकबा (जिसका अर्जन किया जाना है)
(1)	(2)	(3)
1278/1	0.040	0.040
1309	0.136	0.136
1310/1क	0.021	0.021
1311/1	0.031	0.031
1318	0.005	0.005
1319/2	0.010	0.010
1320	0.042	0.005
1321	1.432	1.432
1322	0.100	0.100
1324	0.585	0.585
1325	0.031	0.031
1326	0.209	0.209
1327	0.470	0.470
1328/1क	0.031	0.031
1328/1ख	0.017	0.017
1328/2ख	0.063	0.063
1328/2क	0.021	0.021
1329/1क	0.924	0.924
1329/2क	0.309	0.309
1329/1ख	0.246	0.246
1329/2ख	0.575	0.575
1330/1	0.240	0.240
1330/2क	0.115	0.115
1330/2ख	0.115	0.115
1331/1	0.010	0.010
1331/2क	0.005	0.005
1331/2ख	0.005	0.005
1332/2क	0.031	0.031
1332/2ख	0.032	0.032
1332/1	0.063	0.063
1333/2क	0.130	0.130
1333/2ख	0.131	0.131
1333/1	0.251	0.251
1334/1	0.079	0.079
1334/2	0.078	0.078
1335/1	0.408	0.408

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1335/2	0.062	0.062	1689	0.178	0.178
1589	0.261	0.261	1703	0.024	0.024
1590	0.336	0.336	1704	0.157	0.157
1591	0.199	0.199	1705	0.042	0.042
1592	0.052	0.052	1707	0.047	0.047
1593	0.063	0.063	1712	0.020	0.020
1595	0.115	0.115	1735	0.293	0.293
1596	0.073	0.073	2180/2	0.031	0.031
1598	0.021	0.021	2181	0.920	0.920
1606	0.010	0.010	2182	0.366	0.366
1630	0.010	0.010	2183	0.502	0.502
1631/1ख	0.040	0.040	2184/1	0.084	0.084
1631/1क	0.167	0.167	2184/2	0.084	0.084
1639/1	0.042	0.042	2184/3	0.084	0.084
1642	0.005	0.005	2184/4	0.084	0.084
1644	0.125	0.125	2184/5	0.084	0.084
1645	0.084	0.084	2185	1.662	1.662
1646	0.063	0.063	2191/1	0.042	0.042
1647	1.055	1.300	2191/2क	0.627	0.627
1648	0.094	0.094	2191/4क	1.370	1.370
1649	0.679	0.679	2191/2ख	0.400	0.400
1650	0.031	0.031	2192	0.021	0.021
1651	0.261	0.261	2202/1	0.052	0.052
1652	0.272	0.272	2202/2	0.125	0.125
1653	0.199	0.199	2203	0.021	0.021
1654	0.261	0.261	2213/1	0.491	0.491
1655	0.052	0.052	2213/2	0.199	0.199
1656/1क	0.523	0.523	2214	0.219	0.219
1656/1ख	0.429	0.429	2215/1	0.240	0.240
1656/2	1.024	1.024	2215/2	0.148	0.148
1657/1	0.078	0.078	2215/3	0.148	0.148
1657/2	0.047	0.047	2215/4	0.074	0.074
1658	0.031	0.031	2215/5	0.074	0.074
1668	0.084	0.084	2215/6	0.074	0.074
1669/1	0.105	0.105	2215/7	0.074	0.074
1669/2	0.052	0.052	2216	0.491	0.491
1670	0.073	0.073	2217	0.209	0.209
1671	0.063	0.063	2218	0.697	0.697
1672	0.063	0.063	2219/2ख	0.021	0.021
1673	0.036	0.036	2226/1	0.063	0.063
1684	0.074	0.074	2226/2	0.063	0.063
1685	0.272	0.272	2227	0.105	0.105
1686	0.209	0.209	2229/1	0.971	0.971
1687	0.031	0.031	2229/2	0.052	0.052
1688	0.031	0.031	2230/2	0.418	0.418

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2231	0.084	0.084	2309/2	0.052	0.052
2232	0.470	0.470	2310	0.230	0.230
2233/1क	0.245	0.245	2311/1	0.089	0.089
2233/1ख	0.246	0.246	2311/2	0.089	0.089
2233/1ग	0.146	0.146	2312/1	0.080	0.080
2233/1घ	0.146	0.146	2312/2	0.025	0.025
2233/2	0.125	0.125	2342	0.010	0.010
2234	0.669	0.669	2343	0.152	0.152
2235	0.010	0.010	2351	0.010	0.120
2241	0.005	0.005	2353	0.031	0.031
2242/1क2	0.052	0.052	2355	0.042	0.042
2243/2	0.275	0.275	2356/1	0.039	0.039
2243/3	0.583	0.583	2356/2	0.039	0.039
2244/1क	0.021	0.021	2356/3	0.039	0.039
2244/1ख	0.031	0.031	2356/4	0.040	0.040
2244/2	0.105	0.105	2357	0.105	0.105
2245/1	0.318	0.318	2358	0.157	0.157
2245/2	0.319	0.319	2359/1	0.063	0.063
2246	0.240	0.240	2359/2	0.063	0.063
2247/1ख	0.220	0.220	2360/2	0.063	0.063
2247/2	0.250	0.250	2464	0.063	0.063
2245/1क	0.262	0.262	2465	0.042	0.042
2248	0.470	0.470	2466	0.428	0.428
2249	0.209	0.073	2467	0.010	0.010
2249/3377	0.155	0.155	2468	0.052	0.052
2250/2	0.035	0.035	2472	0.010	0.042
2250/6	0.105	0.105	2617/1क	0.476	0.476
2251/1क	0.449	0.449	2617/1ख	0.475	0.475
2251/1ख2	0.282	0.282	2617/2क	0.178	0.309
2251/1ख1	0.314	0.314	2617/2ख	0.147	0.147
2251/2	0.105	0.105	2617/2ग	0.042	0.042
2252/2	0.052	0.052	2618	0.418	0.418
2253	0.084	0.084	2620	0.010	0.010
2302/2	0.052	0.052	2622	0.005	0.005
2303/1	0.057	0.057	2623	0.026	0.026
2303/2	0.057	0.057	2624/1	0.042	0.042
2304/1	0.056	0.056	2627/1क	0.126	0.126
2304/2	0.105	0.105	2627/1ख	0.178	0.178
2305/1	0.084	0.084	2627/1ग	0.240	0.240
2305/2क	0.036	0.036	2627/2	0.178	0.178
2305/2ख	0.037	0.037	2631	0.010	0.010
2306	0.052	0.052	2634/1	0.146	0.146
2307	0.052	0.052	2634/2	0.092	0.092
2308/1	0.036	0.036	2534/3	0.010	0.010
2308/2	0.037	0.037	2535/1	0.032	0.032
2309/1	0.042	0.042	2635/2	0.032	0.032

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2635/3	0.062	0.062	2726	0.021	0.021
2635/4	0.062	0.062	2688	0.015	0.015
2636/1	0.084	0.084	2690	0.073	0.073
2636/2	0.084	0.324	2698	0.042	0.042
2637/1	0.021	0.021	2699	0.052	0.052
2637/2	0.021	0.021	2700	0.052	0.052
2638	0.052	0.052	2701	0.125	0.125
2639/1	0.188	0.188	2702	0.073	0.073
2639/2	0.188	0.188	2703	0.073	0.073
2640	0.094	0.094	2704/1	0.021	0.021
2641	0.021	0.021	2704/2	0.125	0.125
2642	0.052	0.052	22705	0.094	0.094
2643/1	0.042	0.042	2706	0.026	0.026
2643/2	0.031	0.031	2707	0.073	0.073
2644	0.052	0.052	2708	0.073	0.073
2645	0.073	0.073	2709/1	0.575	0.575
2646	0.073	0.073	2709/2	0.209	0.209
2649	0.052	0.052	2710/1	0.042	0.042
2651/1	0.217	0.217	2710/2	0.021	0.021
2651/2	0.105	0.105	2711	0.052	0.052
2651/3	0.065	0.065	2712	0.021	0.021
2652	0.073	0.073	2713	0.031	0.031
2653/2	0.015	0.015	2714	0.115	0.115
2653/3	0.045	0.045	2715	0.021	0.021
2653/4	0.012	0.012	2716/1क	0.016	0.016
2654/1	0.060	0.060	2716/1ख	0.015	0.015
2654/2	0.024	0.024	2716/2	0.042	0.042
2655	0.084	0.084	2717	0.063	0.063
2656/1	0.032	0.032	2718/1क	0.089	0.089
2656/2	0.031	0.031	2718/1ख	0.079	0.079
2657/1	0.188	0.188	2718/2	0.209	0.209
2657/2	0.146	0.146	2720/1क	0.021	0.021
2657/3	0.040	0.040	2721/1क	0.010	0.010
2657/4	0.183	0.183	2721/1ख	0.011	0.011
2657/5	0.180	0.180	2721/2	0.031	0.031
2657/6	0.088	0.088	2722/1क	0.005	0.005
2658	0.052	0.052	2722/1ख	0.005	0.005
2660	0.491	0.491	2722/2	0.021	0.021
2659	0.031	0.031	2723/2	0.052	0.052
2661	0.105	0.105	2724	0.209	0.209
2662	0.073	0.073	2725	0.094	0.094
2663	0.157	0.157	2727/1	0.188	0.188
2664	0.025	0.025	2727/2	0.105	0.105
2670	0.021	0.021	2728	0.146	0.146
2671	0.105	0.105	2729	0.042	0.042
2672	0.073	0.073	2730	0.031	0.031

(1)	(2)	(3)
2731	0.136	0.136
2732	0.146	0.146
2733	0.146	0.146
2734/1	0.209	0.209
2734/2	0.063	0.063
2736/2	0.052	0.052
2737	0.355	0.355
2738	0.125	0.125
2741/2	0.219	0.219
2742	0.355	0.355
2745	0.168	0.168
2747	0.052	0.052
2748	0.063	0.063
2749/2	0.015	0.015
2759	0.021	0.021
2760	0.020	0.020
1336/3	-	0.053
1627/1	-	0.136
1628	-	0.157
1629	-	0.167
2726	-	0.021
49.537		50.656

निजी खाता भूमि योग कित्ता 332 में से योग रकबा 50.656

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—दार्यी तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र. 12976-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है

कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—सागौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.669 हेक्टर.

सर्वे नंबर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
224	0.078
225	0.716
226	0.688
228	0.452
229	0.278
230	0.336
231/1	0.127
231/2	0.112
239	0.015
240/2/2	0.437
245	0.075
246	0.356
247	0.007
248	0.684
250	0.004
251	0.437
252/1/2	0.251
313	0.002
316	0.371
323/1	0.144
325/1	0.047
325/2	0.057
325/3	0.030
326/1	0.041
330/1	0.024
331/2/2	0.039
332	0.017
333	0.108
334/1/4	0.049
334/2/4	0.134
336	0.005
337	0.290
338	0.188
341/1	0.097
341/2	0.156

(1)	(2)	(1)	(2)
384/1	0.276	9	0.182
384/2	0.034	11/1	0.449
386/1	0.027	11/2/1	0.207
386/2	0.064	11/2/2	0.222
386/3	0.075	46	0.213
386/4	0.050	49	1.332
386/5	0.039	51	0.045
387	0.008	52	4.191
960	0.120	53/2	0.106
975/1	0.375	54	0.820
975/2	0.575	55/2	0.045
975/3	0.620	55/3	0.187
975/4/1	0.865	55/7	0.011
976	0.510	56/6	0.377
977/2	0.125	64/1/1	0.060
978/1, 978/2	0.054	64/1/2	0.080
योग . .	<u>10.669</u>	64/1/3	0.080
		64/2	0.192
		64/3/2	0.105
		योग . .	<u>9.254</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नई बड़ी रेलवे लाइन दाहोद-इन्दौर बरास्ता (झाबुआ-धार-पीथमपुर) के निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) द्वितीय, पश्चिम रेलवे रतलाम (म. प्र.) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12977-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—आगराखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.254 हेक्टर.

सर्वे नंबर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.088
8	0.262

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नई बड़ी रेलवे लाईन दाहोद-इन्दौर बरास्ता (झाबुआ-धार-पीथमपुर) के निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) द्वितीय, पश्चिम रेलवे रतलाम (म. प्र.) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र. 9476-भू-अर्जन-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
		540	0.460
		541	0.024
(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		542/1	0.036
(क) जिला—राजगढ़		542/1	0.036
(ख) तहसील—जीरापुर			योग . . 4.672
(ग) ग्राम—(1) सादलपुर, (2) ब्राह्मणखेड़ा			महायोग . . 11.704
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—11.704 हेक्टर.			

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम - सादलपुर

238/2, 239/2	1.101
238/1/1/4	0.125
238/1/1/5	0.285
238/1/1/6	0.150
238/8, 239/7	1.440
240	0.615
241	0.154
242	0.255
243	0.028
244	0.601
245	0.267
246	0.166
247	0.174
248	0.251
249	0.194
250	0.070
251	0.109
252	0.280
253	0.105
255/1	0.202
256	0.460

योग 7.032

ग्राम—ब्राह्मणखेड़ा

340	0.405
339/1/2	0.290
339/1/3	0.024
339/1/4	0.101
341/1	0.509
535/13, 536	2.088
538	0.591
539/1	0.036
539/2	0.036
539/3	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सादलपुर, तालाब योजना तहसील जीरापुर की पाल, डुब एवं वेस्टवियर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9478-भू-अर्जन-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—जीरापुर
(ग) ग्राम—कंडेली
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.500 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)

48/2/2 1.500

योग . . 1.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शंकरपुरा, तालाब योजना तहसील जीरापुर की डुब एवं वेस्टवियर के शेष भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर 2009		(1)	(2)
क्र. 9561-भू-अर्जन-09.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (चौतरा तालाब निर्माण शीर्ष कार्य) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		524	0.139
		544/1	0.063
		546/1	0.060
		389/1	0.013
		390	0.013
		391	0.126
		363	0.013
		366	0.051
		367	0.107
		456	0.152
(1) भूमि का वर्णन—		547	0.246
		548	0.084
(क) जिला—राजगढ़		392	0.152
(ख) तहसील—राजगढ़		364/1	0.415
(ग) ग्राम—चौतरा, देवली चारण, डूबली एवं धुलेन		369	0.035
(घ) क्षेत्रफल—104.883 हेक्टेयर		446	0.582
ग्राम - चौतरा, क्षेत्रफल 53.604 हेक्टेयर		398/1	0.200
		419	0.013
सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	520	0.114
(1)	(2)	420	0.076
3	0.012	537	0.089
364/2	0.223	436	0.519
415	0.253	441	0.013
443/2	0.032	442	0.215
447	0.139	445	0.266
505	0.430	398/1/2	0.455
545	0.162	399/3	0.101
4	0.063	401/3	0.379
382	0.040	406	0.051
393	0.557	407	0.038
394	0.063	408	0.379
395	0.215	412	0.126
397	0.126	413	0.013
491	0.860	486	0.342
492	0.013	503	1.063
493	0.025	401/2/1	0.203
494	0.481	517/1/2	0.442
517/2	0.190	543/2/2	1.075
646/3	1.012	401/2/1	0.202
383	0.101	517/1/1	0.443
384	0.090	543/2/1	1.074
385	0.092	361	0.140
396	0.038	362	0.051
388/1	0.028	364/3	0.172
544/2	0.063	365	0.038
546/2	0.060	443/1	0.158
388/2	0.057	450/1	0.139

(1)	(2)	(1)	(2)
451	0.126	437	0.215
455/3	0.097	540	1.328
405/1	0.170	451	0.278
409/1	0.014	433	0.063
471/2	0.088	434	0.051
405/2	0.083	470	0.190
471/1	0.089	440	0.177
409/3	0.010	448	0.076
414/1	0.010	449	0.025
414/2	0.116	450/1	0.139
410	0.152	452	0.089
411	0.089	453	0.177
416	0.114	542/3	0.487
417	0.089	543/1/1	0.715
485	0.190	549/2	0.139
423	0.114	454	0.164
455/2	0.097	459	0.152
461	0.304	465	0.101
462	0.051	487	0.759
463	0.190	495	0.304
425	0.063	528	0.797
467	0.190	529	0.240
426	0.278	455/1	0.097
484	0.253	512/2	0.067
501	0.278	513/2	0.139
502	0.228	516/1	0.309
427/1	0.089	516/6	0.067
429	0.089	457	0.076
490/1	0.101	646/4	1.075
427/2	0.101	458	0.101
430	0.063	473/1	0.506
435	0.443	478	0.190
428/1	0.082	480	0.025
507	0.582	460	0.190
469/2	0.305	464	0.278
472/1	0.449	466	0.202
509/3	0.506	498	0.152
472/2	0.335	504/1	0.089
475/3	0.265	504/3	0.354
477/1	0.063	504/6	0.253
504/4	1.645	509/1	0.253
506	0.430	509/2	0.253
428/2	0.082	468/1	0.120
431	0.152	474	0.278
476	0.089	543/3	1.899
499/1/1	0.038	468/2	0.120
432	0.164	469/1	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
473/2	0.253	542/4/1	0.244
475/1	0.133	543/1/2/2	0.357
477/2	0.101	549/1/2	0.083
475/2	0.133	531	0.230
504/2	0.442	532	0.658
504/5/1	0.360	533	0.367
482/1	0.170	534	0.683
483	0.038	535	0.164
496/1	0.139	536	0.139
510/1	0.189	538	0.417
511/2	0.025	539	0.354
522	0.164	542/1	1.265
523/1	0.386	646/2	0.506
482/2	0.209		योग . . . 53.604
488	0.076		
490/2	0.102	ग्राम—देवली चारण, क्षेत्रफल 8.475 हेक्टेयर	
490/3	0.101	159	0.046
497/1	0.076	296	0.015
497/2	0.076	161	0.035
497/3	0.076	308	0.078
496/2	0.139	309	0.092
510/2	0.190	302	0.304
511/1	0.026	304	0.126
523/2	0.550	303/1	0.040
499/1/2	0.152	298/1	0.021
499/2	0.253	356/10	0.685
500/1	0.278	303/2	0.023
500/2	0.278	298/2	0.100
500/3	0.266	297/1	0.085
504/5/2	0.082	299	0.038
504/5/3	0.253	298/3	0.094
516/2	0.180	297/2	0.054
512/1	0.068	330	0.010
515	0.089	331	0.010
516/4	0.464	293	0.075
518	0.126	292	0.240
512/3	0.067	306	0.250
513/1	0.139	291	0.030
516/3	0.309	290	0.026
516/5	0.067	310/1	0.125
526	0.089	312	0.574
530/1	0.316	313	0.512
542/4/2	0.243	314	1.467
543/1/2/1	0.357	315	0.405
549/1/1	0.082	317	0.013
550/1	0.065	318	0.051
530/2	0.080	319	0.417

(1)	(2)	(1)	(2)
320	0.506	627	1.259
328	0.031	492	0.014
329	0.031	495	0.164
356/4	0.110	507	0.038
356/9	0.274	661	0.101
356/11	0.500	493	0.008
356/12	0.500	494	0.106
356/13	0.500	496	0.266
		512	0.152
ग्राम—डूबली, क्षेत्रफल 34.372 हेक्टेयर		513	0.025
172/2	0.186	514	0.051
172/3	0.124	609	0.126
172/4	0.124	506	0.010
172/5	0.124	641	0.455
172/6	0.186	645	0.278
172/7	0.127	646	1.391
172/8	0.127	647	0.304
172/1/8	0.050	648	0.531
174	0.708	509	0.025
179/1/1	0.019	510	0.038
179/3	0.075	511	0.034
179/1/3	0.019	548	0.025
179/4	0.075	549	0.025
192 मे से	0.088	515	0.089
179/1/2	0.019	516	0.076
179/2	0.075	606	0.101
192 मे से	0.285	613	0.076
605/2	0.048	615	0.013
193	0.455	545	0.038
195	0.038	546	0.076
197	0.089	551	0.025
196	0.139	552	0.101
660/1	2.036	553	0.076
198	0.089	554	0.089
617	1.126	555	0.051
622/1	0.075	556	0.063
625	1.052	557	0.013
640	0.349	558	0.126
644	0.367	642	0.025
652/2	0.151	643	1.036
656/1	0.668	602	0.019
656/5	0.240	603	0.027
484/1/1	0.026	605/1	0.048
484/1/2	0.025	607/2	0.026
491/1	0.016	605/3	0.048
491/2	0.018	608/1	0.026
		605/4	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
607/1	0.025	124	0.152
608/2	0.026	137	0.291
610	0.531	138	0.076
611	0.025	125	0.177
612	0.114	142	0.379
614	0.101	143	0.034
622/2	0.085	148	0.089
622/3	0.085	149	0.051
626	0.480	133/1	0.034
624	0.455	150/1	0.322
656/2	0.668	151/1	0.253
656/3/1	0.668	152/1	0.051
656/4	0.240	133/2	0.034
637/2	0.279	151/2	0.253
652/1/1	0.150	152/2	0.038
652/1/2	0.150	158	0.595
652/1/3	0.150	145/1	0.019
652/1/4	0.174	146/1	0.132
655	0.728	146/3	0.014
656/3/2	0.240	147/2	0.069
658	2.175	144	0.015
660/2	0.759	145/3	0.012
660/3	0.506	147/1	0.045
663	0.995	140/1	0.164
664	0.683	159/1	0.417
667/1	0.106	145/2	0.035
667/2	0.106	146/2	0.132
667/3	0.106	150/2	0.322
667/4	0.074	153/1	0.140
662	0.481	154/2	0.480
665/1	0.156	155/1	0.671
666/1	0.653	123	0.051
668/1	0.376	157/1	0.961
665/2	0.139	153/2	0.126
666/2	0.653	154/1	0.064
668/2	0.457	155/2	0.177
666/3	0.654	157/2	0.253
668/3	0.457	160	0.721
668/4	0.142		
670	1.161		
671	0.999		
ग्राम—धुलेन, क्षेत्रफल 8.432 हेक्टेयर		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चौतरा तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.	
140/2	0.152	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
159/2	0.431	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्र. B-4467-एक-7-3-2009-(भाग-एक).— दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2009 को इंदौर में आयोजित न्यायिक अधिकारियों के अधिवेशन के परिपेक्ष्य में रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-8045-एक-7-3-2008 (भाग-एक), जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2008 एवं बी-502-एक-7-3-2003 जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की रजिस्ट्री एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों हेतु (सागर जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर) शनिवार दिनांक 26 दिसम्बर 2009 का अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार दिनांक 19 दिसम्बर 2009 का कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्र. 1217-गोपनीय-2009-दो-3-145-2009.—श्रीमती निशा विश्वकर्मा, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, लखनादौन, जिला सिवनी का विवाह श्री लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा (अनुरागी) के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी निशारानी मिश्री के स्थान पर "श्रीमती निशा विश्वकर्मा" पत्नी श्री लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा (अनुरागी) परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

क्र. 605-स्था. सेट-2009.—श्री हरीश कांत दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सेट) जबलपुर को दिनांक 20 से 31 अक्टूबर 2009 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व, पश्चात् में पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कांत दुबे को अस्थाई रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) निवर्तमान मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्र. E-6033-दो-2-9-2003.—श्री सतीशचन्द्र दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 13 से 16 नवम्बर 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सतीशचन्द्र दुबे अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीशचन्द्र दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6035-दो-2-35-2005.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 2 से 5 दिसम्बर 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6037-दो-2-64-09.—श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 16 नवम्बर 2009 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-4450-दो-2-26-2005.—श्री ए. एच. एस. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए.एच.एस. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.एच.एस. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

क्र. D-4502-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 7 से 12 दिसम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2009 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6990-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक

22 नवम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6992-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6994-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 24 नवम्बर 2009 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-6996-दो-2-65-09.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 19 नवम्बर 2009 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-6998-दो-2-72-07.—श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 3 नवम्बर 2007 से 24 नवम्बर 2009 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2009

क्र. A-2636-दो-2-66-09.—श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 25 नवम्बर 2009 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-4553-दो-3-420-80-भाग-आठ.—श्रीमती प्रभा खरे, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को उनके सेवानिवृत्त दिनांक 30 नवम्बर 2009 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 195 दिवस (एक सौ पंचानव्वे दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्रीमती प्रभा खरे, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी का नियुक्ति का दिनांक. 31-12-1975

2. सेवानिवृत्ति दिनांक 30-11-2009
3. नियुक्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1975 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि. 11 वर्ष 2 माह
4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 22 वर्ष 08 माह
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). 11×15=165 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). 22=11×15=165 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 330 दिन
8. घटाइये—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. 135 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. 195 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2009 को शेष अर्जित अवकाश एक सौ अठानवे दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. D-4563-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्य कार्यरत रहतीं.

क्र. D-4565-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्य कार्यरत रहतीं.

क्र. D-4567-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 9 से 10 दिसम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्र. B-7091-दो-3-420-80-भाग आठ.—(1) श्री एस. एम. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-बी-4870, दिनांक 5 अक्टूबर 2009 के अन्तर्गत स्वीकृत 165 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण का आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) श्री एस. एम. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को उनकी सेवा निवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2008 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 165 दिवस (एक सौ पैसठ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्र.-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री एस. एम. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर का नियुक्ति का दिनांक. 10-7-1976
2. सेवानिवृत्ति दिनांक 30-9-2008
3. नियुक्ति दिनांक 10 जुलाई 1976 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि. 10 वर्ष 8 माह
4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 22 वर्ष 06 माह
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). 10×15=150 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). 22=11×15=165 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 315 दिन
8. घटाइये—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. 150 दिन

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. 165 दिन

जबलपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2008 को शेष अर्जित अवकाश 240+2 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्र. 1184-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-दो).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री मनीष कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय की तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार. जनरल.

क्र.डी-4486-तीन-10-42-75-(रायसेन-सिलवानी).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-550-तीन-10-42-75, (रायसेन-सिलवानी) दिनांक 15 फरवरी 2007 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गैरतगंज की श्रृंखला न्यायालय सिलवानी से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

No. D-4486-III-10-42-75 (Raisen Silwani).—High Court of Madhya Pradesh Notification No. C-550-III-10-42-75 (Raisen-Silwani) dated 15th February 2007, so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge Class-II Gairatganj to Silwani, is, hereby stand cancelled.

क्र.डी-4488-तीन-10-42-75-(रायसेन-सिलवानी).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान गैरतगंज अपने घोषित कार्यस्थल गैरतगंज के अतिरिक्त सिलवानी में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

No. D-4488-III-10-42-75 (Raisen Silwani).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Addl. Judge to 1st Civil Judge Class-I, Raisen at Gairatganj in Addition to his place of Sitting declared at Gairatganj shall also sit at Silwani on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Raisen from time to time.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्र. A-2670-तीन-6-2-2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260(1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री सिद्धार्थ तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी, ग्वालियर जो राजस्व जिला ग्वालियर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार..

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2009

क्र. A-2614-एक-7-3-2009-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2010 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:—

क्र (1)	अवकाश का नाम (2)	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)	सप्ताह के दिन (4)
1.	नववर्ष दिवस	01 जनवरी 2010	शुक्रवार
2.	गुरु गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस.	05 जनवरी 2010	मंगलवार
3.	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.	06 जनवरी 2010	बुधवार
4.	मकर संक्रांति/पोंगल	14 जनवरी 2010	गुरुवार
5.	बसंत पंचमी	20 जनवरी 2010	बुधवार
6.	देव नारायण जयन्ती	21 जनवरी 2010	गुरुवार
7.	नर्मदा जयन्ती	22 जनवरी 2010	शुक्रवार
8.	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	29 जनवरी 2010	शुक्रवार
9.	संत रविदास जयन्ती	30 जनवरी 2010	शनिवार
10.	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस.	08 फरवरी 2010	सोमवार
11.	शबरी जयंती	24 फरवरी 2010	बुधवार
12.	भाईदूज	02 मार्च 2010	मंगलवार
13.	भक्त माता कर्मा जयन्ती	11 मार्च 2010	गुरुवार
14.	चैती चांद	17 मार्च 2010	बुधवार
15.	वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस/ निषादराज जयन्ती.	20 मार्च 2010	शनिवार
16.	हाटकेश्वर जयन्ती	29 मार्च 2010	सोमवार
17.	विशु	15 अप्रैल 2010	गुरुवार
18.	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	15 मई 2010	शनिवार
19.	शंकराचार्य जयन्ती	18 मई 2010	मंगलवार
20.	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	09 जून 2010	बुधवार
21.	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती.	15 जून 2010	मंगलवार
22.	बड़ा महादेव पूजन/वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस.	24 जून 2010	गुरुवार
23.	कबीर जयन्ती/हजरत अली का जन्म दिवस.	26 जून 2010	शनिवार
24.	रथ यात्रा	13 जुलाई 2010	मंगलवार
25.	शब-ए-बारात	30 जुलाई 2010	शुक्रवार
26.	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2010	शुक्रवार
27.	पारसी नववर्ष दिवस	19 अगस्त 2010	गुरुवार
28.	ओणम	23 अगस्त 2010	सोमवार
29.	जमात-उल-विदा	10 सितम्बर 2010	शुक्रवार
30.	नवाखाई	14 सितम्बर 2010	मंगलवार
31.	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2010	शुक्रवार
32.	डोलग्यारस/राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस.	18 सितम्बर 2010	शनिवार
33.	अनंत चतुर्दशी	22 सितम्बर 2010	बुधवार
34.	प्राणनाथ जयन्ती	06 अक्टूबर 2010	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	अग्रसेन जयन्ती	08 अक्टूबर 2010	शुक्रवार
36.	दशहरा (महानवमी)	16 अक्टूबर 2010	शनिवार
37.	महर्षि वाल्मिकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	22 अक्टूबर 2010	शुक्रवार
38.	करवा चौथ पर्व	26 अक्टूबर 2010	मंगलवार
39.	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2010	सोमवार
40.	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2010	सोमवार
41.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस/गदीर-ए-खुम.	24 नवम्बर 2010	बुधवार
42.	योम-ए-अशुरा	16 दिसम्बर 2010	गुरुवार
43.	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2010	शनिवार
44.	दत्तात्रय जयन्ती	20 दिसम्बर 2010	सोमवार
45.	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2010	शुक्रवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.
- (3) अधीनस्थ न्यायालय के स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. A-2616-एक-7-3-2009-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2010 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:—

क्र	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुरु गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस.	05 जनवरी 2010	मंगलवार
2.	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.	06 जनवरी 2010	बुधवार
3.	मकर संक्रांति/पोंगल	14 जनवरी 2010	गुरुवार
4.	बसंत पंचमी	20 जनवरी 2010	बुधवार
5.	देव नारायण जयन्ती	21 जनवरी 2010	गुरुवार
6.	नर्मदा जयन्ती	22 जनवरी 2010	शुक्रवार
7.	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	29 जनवरी 2010	शुक्रवार
8.	संत रविदास जयन्ती	30 जनवरी 2010	शनिवार
9.	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस.	08 फरवरी 2010	सोमवार
10.	शबरी जयंती	24 फरवरी 2010	बुधवार
11.	भक्त माता कर्मा जयन्ती	11 मार्च 2010	गुरुवार
12.	चैती चांद	17 मार्च 2010	बुधवार
13.	हाटकेश्वर जयन्ती	29 मार्च 2010	सोमवार
14.	विशु	15 अप्रैल 2010	गुरुवार
15.	शंकराचार्य जयन्ती	18 मई 2010	मंगलवार
16.	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	09 जून 2010	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती.	15 जून 2010	मंगलवार
18.	बड़ा महादेव पूजन/वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस.	24 जून 2010	गुरुवार
19.	कबीर जयन्ती/हजरत अली का जन्म दिवस.	26 जून 2010	शनिवार
20.	रथ यात्रा	13 जुलाई 2010	मंगलवार
21.	शब-ए-बारात	30 जुलाई 2010	शुक्रवार
22.	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2010	शुक्रवार
23.	पारसी नववर्ष दिवस	19 अगस्त 2010	गुरुवार
24.	ओणम	23 अगस्त 2010	सोमवार
25.	जमात-उल-विदा	10 सितम्बर 2010	शुक्रवार
26.	नवाखाई	14 सितम्बर 2010	मंगलवार
27.	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2010	शुक्रवार
28.	अनंत चतुर्दशी	22 सितम्बर 2010	बुधवार
29.	प्राणनाथ जयन्ती	06 अक्टूबर 2010	बुधवार
30.	अग्रसेन जयन्ती	08 अक्टूबर 2010	शुक्रवार
31.	महर्षि वाल्मिकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंदजी महाराज का समाधी उत्सव.	22 अक्टूबर 2010	शुक्रवार
32.	करवा चौथ पर्व	26 अक्टूबर 2010	मंगलवार
33.	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2010	सोमवार
34.	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2010	सोमवार
35.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस/गदीर-ए-खुम.	24 नवम्बर 2010	बुधवार
36.	योम-ए-अशुरा	16 दिसम्बर 2010	गुरुवार
37.	दत्तात्रय जयन्ती	20 दिसम्बर 2010	सोमवार
38.	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2010	शुक्रवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 38 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करे.
- (3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 38 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
- (4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापन पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसीपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 1201-गोपनीय-2009-दो-2-1-2009 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-

इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री पवन कुमार गोधा	मुरैना	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर) के स्थान पर.	टीकमगढ़

क्र. 1202-गोपनीय-2009-दो-2-1-2009 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	विदिशा	विदिशा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री रमेश चन्द्र मालवीय	जावरा	बिजावर	छतरपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
3.	श्री गुणवंत सिंह सलूजा	रतलाम	मनासा	नीमच	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—(1) श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, टीकमगढ़ का स्थानांतरण उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत किया गया है. इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.

क्र. 1203-गोपनीय-2009-दो-2-1-2009 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (सन 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वर्तमान में पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(ए)2-2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 तथा क्रमांक फा. 3(ए) 1-2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 1 दिसम्बर 2009 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ (2) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिबीजन) का नाम (1)	वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)	सत्रखण्ड का नाम (4)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)	न्यायालय में बैठने का स्थान (6)
1. श्री देवराज बोहरे	पिछोर	पिछोर	शिवपुरी	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	पिछोर
2. श्री राघवेन्द्र प्रसाद सिंह सिकरवार	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	झाबुआ
3. श्री संजय कुमार जैन (सीनियर)	हरदा	हरदा	हरदा	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	हरदा
4. श्री राजीव कुमार सिंह	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पदोन्नति पर सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में	जबलपुर
5. श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी	कुक्षी	कुक्षी	धार	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	कुक्षी

क्र. 1204-गोपनीय-2009-दो-2-1-2009 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र

न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री महेन्द्र कुमार जैन	रतलाम	जावरा	रतलाम	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1205-गोपनीय-2009-दो-2-1-2007 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(ए)3-2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 द्वारा तदर्थ रूप से आगामी आदेश होने तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों में जिला न्यायाधीश के पद पर, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये, उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया गया है, को तदर्थ रूप से अस्थायी तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पाठासीन अधिकारी के रूप में (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) पदस्थ करता है तथा सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ है एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के पद उपलब्ध होने तक ही प्रभावशील रहेगी.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री आनन्द कुमार छापेरिया	भिण्ड	जोबट	अलीराजपुर	पदोन्नति पर अस्थायी तौर पर पीठासीन अधिकारी, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2009

क्र. 1207-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अनिल कुमार सिंह	भोपाल	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आनन्द कुमार छापेरिया के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्र. 1223-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री पदमेश शाह	इन्दौर	देवास	देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1169-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-ए), दिनांक 4 दिसम्बर 2009 की सारणी के क्रमशः सरल क्रमांक 6 पर अंकित श्री पदमेश शाह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर को जहां तक इसका संबंध इंदौर से सरदारपुर जिला धार स्थानांतरण से है तथा सरल क्रमांक 9 पर अंकित श्री आलोक कुमार मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर का जहां तक इसका संबंध ग्वालियर से जोरा जिला मुरैना स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्र. 1169-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती सविता सिंह	जावरा	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मसूद अरशद खान के स्थान पर.
2	श्री गिरीश दीक्षित	बैतूल	जोबट	अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री वैभव मण्डलोई	भोपाल	आगर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री मसूद अरशद खान	धार	कुशी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री अंतर सिंह अलावा	बैतूल	पेटलावद	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
6	श्री पदमेश शाह	इन्दौर	सरदारपुर	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	श्री सुजीत कुमार सिंह	मैहर	राजेन्द्रग्राम	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर की हैसियत से श्री तपेश कुमार दुबे के स्थान पर.
8	श्री तपेश कुमार दुबे	राजेन्द्रग्राम	पिछोर	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री आलोक कुमार मिश्रा	ग्वालियर	जोरा	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री अरूण प्रताप सिंह	रीवा	सुसनेर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11	श्री सुनील मिश्रा	मण्डला	जबलपुर	जबलपुर	द्वितीय न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—(1) रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 972-गोपनीय-2009, दिनांक 23 अक्टूबर 2009 जहाँ तक इसका संबंध श्री गालिब रसूल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, सीधी का, सीधी से चुरहट जिला सीधी स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 972-गोपनीय-2009, दिनांक 23 अक्टूबर 2009 जहाँ तक इसका संबंध श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, मण्डला का, मण्डला से जबलपुर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 1171-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-दो).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नामों के समक्ष अंकित स्थान पर स्थानांतरित कर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेश नन्देश्वर	नीमच	जावरा	रतलाम	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से श्रीमती सविता सिंह के स्थान पर.
2	श्री रतन कुमार वर्मा	भिण्ड	लहार	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री कृष्ण किशोर शुक्ला	भोपाल	भोपाल	भोपाल	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	श्री शशिकांत वर्मा	पाण्डुर्णा	पाण्डुर्णा	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
5	श्री आशीष श्रीवास्तव	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री सतीश कुमार गुप्ता	आमला	आमला	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
7	श्रीमती दीपिका मालवीया	बैतूल	बैतूल	बैतूल	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	सोंसर	सोंसर	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री प्रकाश कसेर	विजयराघौगढ़	विजयराघौगढ़	कटनी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
10	श्री सुधीर सिंह	ब्यौहारी	ब्यौहारी	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
11	श्री संदीप श्रीवास्तव	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, श्योपुर एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
12	श्री आदेश कुमार मालवीया	बैतूल	बैतूल	बैतूल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से श्री अंतर सिंह अलावा के स्थान पर.
13	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	इंदौर	इंदौर	इंदौर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट तथा सचिव, विधिक साक्षरता की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14	श्री मनोज कुमार शर्मा	भोपाल	भोपाल	भोपाल	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
15	श्री रूपेश कुमार माण्डल	गुना	गुना	गुना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	श्री ओम प्रकाश रजक	चौरई	चौरई	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-चौरई जिला छिन्दवाड़ा एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
17	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
18	श्री कमलेश सनोडिया	उदयपुरा	उदयपुरा	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रायसेन से न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-उदयपुरा जिला रायसेन एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
19	श्री निसार अहमद	गोहरगंज	गोहरगंज	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गोहरगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
20	श्री अयाज मोहम्मद	इंदौर	इंदौर	इंदौर	बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
21	श्री रामगोपाल प्रजापति	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
22	श्री सुरेन्द्र सिंह गुरजर	देवरी	देवरी	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी जिला सागर एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
23	श्री राम सिंह कनोजिया	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट तथा सचिव, विधिक साक्षरता, अनूपपुर की हैसियत से.
24	श्रीमति प्रीति सिंह	भोपाल	भोपाल	भोपाल	ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
25	श्री चन्द्र किशोर बारपेटे	परासिया	परासिया	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	श्री दिनेश कुमार शर्मा	भाण्डेर	भाण्डेर	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
27	श्री ओमप्रकाश बोहरा	इंदौर	इंदौर	इंदौर	तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
28	श्री जीतेन्द्र कुमार बाजोलिया	मुरैना	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट तथा सचिव, विधिक सहायता, मुरैना की हैसियत से.
29	कुमारी सविता जड़िया	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
30	श्री हिदायतउल्लाह खान	जुन्नारदेव (जामई)	जुन्नारदेव (जामई)	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-जुन्नारदेव (जामई) जिला छिन्दवाड़ा एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
31	श्री संजय चौहान	गैरतगंज	गैरतगंज	रायसेन	प्रथम व्यवहार, न्यायाधीश, वर्ग-1, रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-गैरतगंज जिला रायसेन एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
32	श्री हरप्रसाद बंशकार	वारासिवनी	आरोन	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
33	श्रीमती कीर्ति कश्यप	मण्डला	मण्डला	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मण्डला के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डला एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
34	श्रीमती सुशीला वर्मा	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
35	श्रीमती संतोषी वासनिक	कटंगी	कटंगी	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बालाघाट के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-कटंगी जिला बालाघाट एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	श्री राजेन्द्र कुमार	खेतिया	खेतिया	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बड़वानी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-खेतिया जिला बड़वानी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
37	श्री दयाराम अहिरवार	मझौली	मझौली	सीधी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
38	डॉ. उमाशंकर कुम्हार	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
39	श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव	देपालपुर	देपालपुर	इंदौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
40	श्री जय सिंह सराते	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-जयसिंहनगर जिला शहडोल एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
41	श्री राजकुमार यादव	हातोद	हातोद	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इंदौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-हातोद जिला इंदौर एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.
42	श्री शैलेश भारती भदकारिया	हरसूद	हरसूद	खण्डवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
43	श्री रामलाल शाक्य	अजयगढ़	अजयगढ़	पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-अजयगढ़ जिला पन्ना एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से.

क्र. 1172-गोपनीय-2009-दो-3-1-2009 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को, जो कि ग्राम न्यायालय में न्यायाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को उनसे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, उन्हें भी व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर वेतनमान रूपये 12,850-

300-13,150-350-15950-400-17,550/- में नियुक्त करते हुये, उन्हें उनकी वर्तमान पदस्थापना पर ही न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय के पद पर पदस्थ करता है :-

क्रमांक (1)	नाम (2)
1	श्रीमती नीतू कांता वर्मा
2	श्री नरेन्द्र पटेल
3	श्री विकास भट्टेले
4	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनियर)
5	श्री रूपम वेदी
6	श्री साबिर अहमद खान
7	श्री कमलेश कुमार इटावडिया
8	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर)
9	श्री सुखराम सीनम
10	श्री प्रदीप राठौर
11	कुमारी निशारानी मिस्त्री
12	श्री आशिष टांकले
13	श्री खालिद मोहतरम अहमद
14	श्री नरसिंह बघेल
15	श्री रामजीलाल ताम्रकार
16	श्री मोहम्मद अनीस खान
17	श्री प्रहलाद सिंह केमेधिया
18	श्री पूरण सिंह
19	श्री केशव सिंह
20	श्री दिनेश कुमार खटीक
21	श्री सुनील कुमार शोक
22	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
23	श्री विष्णु खेड़े
24	श्री अमोद आर्य
25	श्री सतीश चन्द्र मालवीया

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता).